**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2920**

**12.12.2016 को उत्तर के लिए**

**आनुवंशिक रूप से परिवर्धित सरसों के संबंध में पर्यावरण संबंधी चिंताएं**

**2920. प्रो. एम. वी. राजीव गौडा:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आनुवंशिक रूप से परिवर्धित सरसों की किस्म बाजार में लाने के संबंध में कुछ पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं\

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) जीएम सरसों सहित किसी आनुवंशिक रूप से परिवर्धित फसल की किस्‍म को बाजार में लाने के लिए विविध चिंताओं के मद्देनजर पर्यावरणीय और स्‍वास्‍थ्‍य पहलुओं को भली-भॉति ध्‍यान में रखे जाने की आवश्‍यकता होती है। सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक सूक्ष्‍मजीवों/आनुवंशिक रूप से परिवर्धित जीवों अथवा कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात तथा भंडारण संबंधी नियमों के तहत जोखिमों और लाभों का आकलन करने के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित की है। जीएम फसलों को कोई भी स्‍वीकृति नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें हितधारकों से प्राप्‍त प्रतिवेदनों को भी ध्‍यान में रखा जाता है।

(ग) प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*